Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मीठया वगै0 बनाम गिर्राज वगै0

अपील संख्या 97 / 18 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO 2018/00207

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.8.25	उभयपक्ष अधिवक्तागण उप0। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 13.7.18 को अंतरिम आदेश पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। जबकि अपीलांट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिसे अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः अधिनरथ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.7.18 विधि विरूद्व होने से अपास्त फरमाया जावे। जबाब मे रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के कब्जे काश्त मे मजाहमत किये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से रेस्पो0 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अपीलांट को सही रूप से पाबन्द किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 51 / 08 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.7.18 के विरूद्व पेश की गई है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की सहखातेदारी की आराजीयात होना उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। चूकि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे अप्रार्थीगण से जबाब प्राप्त किया जाकर तथा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन कर अंतिम आदेश पारित किया जाना होता है। इस परिपेक्ष्य मे अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब अधिनस्थ न्यायालय [illegible] आगामी पेशी दिनांक 26.8.25 को प्रस्तुत करेंगे [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] विधि अनुसार उभयपक्ष को सुना जाकर अन्दर 2 माह मे प्रकरण का [illegible]म निस्तारण करे। निर्णय सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot

Date: 2026.04.16 15:22:42 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner